तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अब्दुल सत्तार बनाम हमीदा बानो** **350/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00286)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.21	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं प्रकरण विड्रो करने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में काफी लम्बा समय व्यतीत हो गया है एवं प्रार्थी उक्त प्रकरण को चलाना नही चाहता है एवं विड्रा करना चाहता है और यह न्यायहित में भी नजरसानी प्रार्थना पत्र न चलाने व विड्रो करने से निर्णित किया जाना आवश्यकीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण को आज ही पेशी में लिया जाकर प्रकरण न चलाने व विड्रो करने की आज्ञा प्रदान कर निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण स्वयं ही अपने प्रार्थना पत्र नजरसानी को आगे नही चलाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र नजरसानी को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण विड्रो करने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नजरसानी विड्रो किये जाने से प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(दिनेश कुमार यादव)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	